भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2230**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**केरल में बच्चों का यौन शोषण**

2230. श्री राजीव चन्द्रशेखरः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रमुख लोगों द्वारा केरल राज्य के कतिपय शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के यौन शोषण के बारे में लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन आरोपों की जांच और इसमें लिप्त लोगों को सजा देने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों में रह रहे बच्चों को यौन हमलों से बचाने के लिए क्या एहतियाती कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्‍सो) शैक्षणिक संस्‍थाओं सहित सभी परिवेशों में बच्‍चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों का निपटान करता है। पॉक्‍सो अधिनियम, 2012 की धारा 44 राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्‍य बालक अधिकार संरक्षण आयोगों को यथा विहित तरीके से अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्‍वयन की निगरानी करने का अधिकार देता है। राष्‍ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना उपलब्‍ध नहीं है।

\*\*\*\*\*